

कार्यालय संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर-छ0ग0

कमांक / 6274 / नग्रानि / भवन - 48 / 2009
प्रति,

रायपुर, दिनांक - 15-10-2009

मेसर्स करिश्मा एजुकेशन सोसायटी,
सचिव, श्री मोतीलाल जैन,
सचदेव न्यू पी.टी.कालेज, जय स्तंभ रायपुर- छ.ग.

विषय:- भवन निर्माण बाबत।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 10/08/09.

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र में यथावर्णित भूमि ग्राम धुसेरा प.ह.नं. 15, तहसील अभनपुर जिला रायपुर के खसरा कमांक 334/1, 334/2, रकबा 0.28 हेक्टर पर इस कार्यालय द्वारा दी गई विकास अनुज्ञा पत्र कमांक 477 दिनांक 23/01/09. के द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में दर्शाये अनुसार शैक्षणिक उपयोग हेतु निम्न शर्तों के अधधीन रहते हुए छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

01. मुख्य मार्ग से रथल तक पहुंच मार्ग स्वयं के व्यय पर अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर निर्माण करना आवश्यक होगा एवं भवन के सम्मुख आंतरिक मार्ग का निर्माण मानचित्रानुसार करना होगा।
02. बाल्कनी, सीढी आदि का निर्माण स्वयं की भूमि में किया जावे।
03. भूखण्ड के अंतर्गत छोड़ी गई उपांतीय खुली भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण न किया जावे।
04. भूमि स्वामित्व सम्बन्धी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा तथा यह भवन निर्माण अनुज्ञा निरस्त की जा सकेगी।
05. छ.ग. भूमि विकास नियम-1984 के नियम-64 के अनुसार 100 वर्गमीटर प्रति वृक्ष की दर से भूखण्ड के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जावे।
06. छ.ग. भूमि विकास नियम-1984 के नियम-78 के पावधान के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
07. मल जल निकास जैसे- सेप्टिक टैंक, शोकपिट इत्यादि जल प्रदाय, नाली निर्माण व्यवस्था एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि का विकास आवेदक को करना होगा।
08. आवेदक के द्वारा शासकीय भूमि पर मार्ग अथवा सार्वजनिक उपयोग की भूमि (शासकीय) भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में न किया जावे।
09. ठोस अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक एवं उनके निर्मित सामग्री को संग्रहित करने हेतु कुड़ादान का उपयोग किया जावे।
10. उपांतीय खुला क्षेत्र स्वीकृत अभिन्यास अनुसार भवन के चारो ओर छोड़ा जावे तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होगा। भूतल कवरेज 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
11. भवन की उंचाई 12.5 मीटर से अधिक नहीं होगी।
12. भवन निर्माण में फ्लाइएश से बनी ईंटों का उपयोग करना होगा।

13. प्रत्येक तल का निर्मित क्षेत्रफल निम्नानुसार होगा -

1. भूतल :-

स्कूल बिल्डिंग 10920 वर्गफुट,
हास्टल बिल्डिंग 6000 वर्गफुट
स्टाफ क्वार्टर 3600 वर्गफुट
कुल - 20520 वर्गफुट

2. प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल प्रत्येक तल पर निम्नानुसार निर्माण :-

स्कूल बिल्डिंग 10920 वर्गफुट,
हास्टल 6400 वर्गफुट
स्टाफ क्वार्टर 3600 वर्गफुट,
कुल - 20520 वर्गफुट

3. कुल निर्मित क्षेत्र भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल 82080 वर्गफुट

14. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर इस भूमि पर प्रदत्त भवन निर्माण छ.ग.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी।
15. भवन निर्माण प्रारंभ होने की सूचना इस कार्यालय को देना आवश्यक होगा।
16. भवन निर्माण पूर्ण होने पर भवन पूर्णता प्रमाण पत्र छ.ग.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 31 (2) (च) के तहत इस कार्यालय से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
17. छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 23 के प्रावधानों के तहत यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक प्रभावशील रहेगी उसके पश्चात् निर्माण पूर्ण न होने पर वर्षानुवर्ष अनुज्ञा की अवधि बढ़ाई जा सकेगी जिसकी कुल अवधि अनुज्ञा दिनांक से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर-छ0ग0

15/10/09

रायपुर, दिनांक-

पृ0कमांक/
प्रतिलिपि :-

/ नग्रानि/ भवन- 48/2009

- 1-
2-
3-












कार्य पालन यंत्री, छ0ग0 विद्युत वितरण कंपनी, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
आयुक्त, आयकर विभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
सरपंच ग्राम पंचायत, कचना तहसील व जिला रायपुर को सूचनार्थ।

sc-

संयुक्त संचालक


नगर तथा ग्राम निवेश,

क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर-छ0ग0



Professional Engineer's License Information and Registration Details.

Table with columns for 'AREA STATEMENTS' and 'TOTAL AREA'. It lists various building areas and their corresponding square footages.



SITE PLAN / SERVICE PLAN

Table titled 'OPENING DETAILS' listing specifications for doors and windows.

Professional Engineer's Name and Signature.